गोपनीय
शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–141/अड़सठ–3–2021

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0 प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 19 फरवरी, 2021

विषय–प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–गोप0/जूनि0भ0प0/10277–79/2020–21, दिनाक–14.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसके कम में भर्ती परीक्षा आयोजित कराये जाने की कार्यवाही के संबंध में बिन्दुवार निम्नवत निर्देश हैं:–

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली –1978 के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक के पदों पर चयन की कार्यवाही सम्बन्धित प्रबन्धक द्वारा की जाती थी। उक्त नियमावली 1978 में चयन से सम्बन्धित प्राविधानों में संशोधन करते हुए सातवां संशोधन नियमावली, 2019 दिनांक 04.12.2019 निर्गत की गयी है।

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली –1978 (सातवां संशोधन) नियमावली, 2019 दिनांक 04.12.2019 के नियम–10 चयन की प्रक्रिया के स्तम्भ–दो के उपबिन्दु (ख) में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के प्रत्येक भर्ती के पूर्व एक भर्ती परीक्षा आयोजित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उक्त नियमावली दिनांक–04.12.2019 के नियम–4 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता के साथ राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे।

यह परीक्षा **"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021"** के नाम से जाना जाएगा। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती हेतु मान्य होगी।

2- परीक्षा संस्था

शासनादेश सं0 1986/अड़सठ–3–2019, दिनांक 01.01.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 में सांतवे संशोधन की अधिसूचना दिनांक–04.12.2019 में अंकित प्राविधानों के दृष्टिगत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के समस्त रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित कराये जाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की इकाई "सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज, उ0प्र0 प्रयागराज" को नामित किया गया है। नामित परीक्षा संस्था द्वारा परीक्षा को ससमय सम्पन्न कराये जाने हेतु बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा से

Scanned with CamScanner

सम्बन्धित विभागों द्वारा भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा विषय विशेषज्ञों का चयन करके प्रश्नपत्रों का निर्माण कराया जायेगा साथ ही मुद्रण और परीक्षाफल तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन तथा पारिश्रमिक की दरें भी निर्धारित की जायेंगी।

3-आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यमः–

1. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में निर्धारित वेबसाइट पर अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन फार्म की प्रस्तुति से पहले आवेदकों को निम्नलिखित तैयारियाँ आवश्यक हैः–
   - (क) अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (जो 6 माह की अविध से ज्यादा पुराना न हो) जिसके नीचे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हों (केवल जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में) अपलोड करने के लिए स्कैन इमेज होनी चाहिए।
   - (ख) ऑन–लाइन पंजीकरण के उपरान्त, पंजीकरण के सापेक्ष आवेदन शुल्क जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगी, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने हेतु निर्दिष्ट बैंक की नवीनतम तकनीक के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
   - (ग) शुल्क जमा करने के बाद आवेदनपत्र की अन्तिम प्रस्तुति के लिए शुल्क जमा करने के साक्ष्य के रूप में निर्धारित बैंक द्वारा प्राप्त ट्रान्जेक्शन आई.डी. संख्या अभ्यर्थी अपने पास रखेंगे।
2. ऑनलाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे।

4- आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता, आयु एवं निवास –

(1) न्यूनतम अर्हता –

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 (सातवां संशोधन) नियमावली, 2019 दिनांक–04.12.2019 के नियम–4 के अनुसार होगी।

(2) आयु–सीमा–

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 (सातवां संशोधन) नियमावली, 2019 दिनांक–04.12.2019 के नियम–8 के अनुसार होगी।

(3) निवास –

ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हों तथा आवेदन की तिथि के पूर्व उत्तर प्रदेश में निरन्तर 05 वर्ष से स्थायी निवासी हों। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन/सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5– परीक्षा की संरचना व विषय वस्तुः–

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मानक एवं मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का उल्लेख है। अतः अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चयन हेतु सामान्य ज्ञान, भाषा, सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित विषय हेतु परीक्षा आयोजित करायी जाएगी।

Scanned with CamScanner

सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके दो खण्ड होंगे। प्रथम खण्ड में 50 प्रश्न "सामान्य ज्ञान" विषय से सम्बन्धित होंगे जो सभी अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य होगा। द्वितीय खण्ड में 100 प्रश्न सम्बन्धित विषय के होगें जिसमें भाषा, सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक विषय का अभ्यर्थी को चयन करना अनिवार्य होगा। भाषा में संस्कृत, हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर, संरचना एवं विषय वस्तु निम्नवत् है –

परीक्षा का समय : 02:30 घण्टे (150 मिनट) पूर्णांक : 150

प्रश्न का प्रकार : बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या : 150

प्रश्न पत्र का संयोजन एवं कठिनाई स्तर : स्नातक

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	सामान्य ज्ञान (अनिवार्य)	50 MCQs	50
2.	(क) भाषा शिक्षक के लिए (संस्कृत/हिन्दी/अंग्रेजी में से कोई एक) (ख) सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन (ग) विज्ञान एवं गणित शिक्षक के लिए विज्ञान एवं गणित **वैकल्पिक (क) अथवा (ख) अथवा (ग) में से कोई भी**	100 MCQs	100
कुल		150 MCQs	150 अंक

प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु दो प्रश्न प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 150 अंकों का वही प्रश्न पत्र होगा जो सहायक अध्यापक हेतु निर्धारित प्रश्न पत्र होगा। उक्त प्रश्न पत्र सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक दोनों पदों हेतु अनिवार्य होगा क्योंकि सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु 05 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव की अनिवार्यता है। अतः प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों, शिक्षा विभाग से सम्बन्धित गठित विभिन्न आयोगों/समितियों एवं उनकी संस्तुतियों, शिक्षा नीतियों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं एवं प्रबंधन के संदर्भ में भी ज्ञान होना अनिवार्य है। अतः प्रधानाध्यापक हेतु **"शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन"** विषय से सम्बन्धित 50 प्रश्नों का पृथक से द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर, संरचना एवं विषय वस्तु निम्नवत् है –

परीक्षा का समय : 01:00 घण्टा (60 मिनट) पूर्णांक : 50

प्रश्न का प्रकार : बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या : 50

प्रश्न पत्र का संयोजन एवं कठिनाई स्तर : स्नातक

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	शैक्षिक प्रबन्धन/प्रशासन	50 MCQs	50
कुल		50 MCQs	50 अंक

प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक हेतु निर्धारित उपर्युक्त प्रश्न पत्र संरचना के अनुसार भर्ती परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम "परिशिष्ट–।" मे दिये गये हैं।

Scanned with CamScanner

6. प्रश्न पत्र की भाषा – प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनो भाषा में होगा।

7. अर्हक अंक –

(1) **सहायक अध्यापक** के पद हेतु पूर्णांक 150 में से 97 अंक अर्थात 65 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण माने जाएंगे।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/ भूतपूर्व सैनिक स्वयं/दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 90 अंक होगा।

(2) प्रधानाध्यापक के पद हेतु पूर्णांक (प्रथम प्रश्न पत्र + द्वितीय प्रश्न पत्र) 200 में से 65 प्रतिशत अर्थात् 130 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण माने जाएंगे।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक स्वयं/दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 200 में से 120 अंक होगा।

8. परीक्षा परिणाम का प्रकाशन–

(1) अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी किया जायेगा।

(2) **"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021"** उत्तीर्ण करना किसी व्यक्ति को भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा; क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है।

(3) परीक्षा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर आयोजित करायी जाएगी। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की जॉच इलेक्ट्रानिक संसाधन द्वारा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से करायी जाती है। अतः ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र से सम्बन्धित वांछित सूचनाओं को काला न करने अथवा त्रुटिपूर्ण अंकन पर ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा एवं इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे।

(4) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भरने एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज, सम्बन्धित विषय भाषा विकल्प (संस्कृत/हिन्दी/अंग्रेजी)/सामान्य अध्ययन/विज्ञान एवं गणित के गोले को काला न करने पर अथवा त्रुटिपूर्ण अंकन पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें ।

(5) अभ्यर्थी को परीक्षा के समय निर्गत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के कॉलम में काले किये गये गोले के आधार पर ही अभ्यर्थी के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किया जायेगा। परीक्षा के उपरान्त प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गलत अंकन से सम्बन्धित प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय उपलब्ध करायी गयी प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें।

(6) आवेदकों के आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों यथा नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि/आरक्षण/विशेष आरक्षण/शैक्षिक गुणांक/अनुभव इत्यादि के अनुसार ही परीक्षा संस्था द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जाएगा तथा परीक्षाफल घोषित होने के

Scanned with CamScanner

उपरान्त उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परीक्षाफल एवं आवेदन का डाटा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियोक्ता संस्था को उपलब्ध करा दिया जाएगा। आवेदन पत्र में अंकित समस्त प्रविष्टियों का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का होगा एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टियों में त्रुटि के सुधार का अधिकार परीक्षा संस्था को नहीं होगा।

9. प्रवेश पत्र का प्रेषणः–

अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से पूर्व निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जायेंगे, जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डॉउनलोड करेंगे। इस डॉउनलोडेड प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र नही भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को निर्धारित परीक्षा केन्द्र से इतर परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने की अनुमति नही दी जायेगी।

अभ्यर्थियों द्वारा **"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021"** में एक से अधिक बार ऑनलाइन आवेदन किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा पूरित किये गये अंतिम ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन को मान्य करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा।

10. परीक्षा का आयोजन – परीक्षा मण्डल मुख्यालय के जनपद पर आयोजित होगी।

11– परीक्षा केन्द्र का निर्धारण –

(i) **"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021"** मण्डल मुख्यालय के जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति के निर्देशन एवं देख–रेख में मण्डल स्तर पर शुचितापूर्वक आयोजित/सम्पन्न करायी जायेगी। मण्डल स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु निम्नवत् **समिति पूर्णतः सक्षम एवं उत्तरदायी होगी। इस हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगाः–**

(क)	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ख)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
(ग)	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	–	सदस्य
(घ)	प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	–	सदस्य
(ङ.)	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	–	सदस्य
(च)	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य सचिव
(छ)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य

(ii) परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में राजकीय, सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 और सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों को ही परीक्षाकेन्द्र बनाया जायेगा। जनपद में विश्वविद्यालय की उपलब्धता की स्थिति में जनपदीय समिति विश्वविद्यालय की सहमति से विश्वविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार करेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को औचित्य सिद्ध होने पर परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा। जनपद मुख्यालय पर स्थित अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त तथा अच्छी ख्याति के माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा आयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा। परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण शहरी क्षेत्र में कराया

Scanned with CamScanner

जायेगा, जिससे सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके। ऐसे स्कूल एवं कालेजों को परीक्षा केन्द्र के रूप में अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी, जिनके विरूद्ध सामूहिक नकल कराये जाने एवं पेपर आउट कराये जाने आदि जैसी शिकायतें संज्ञान में आयी हैं।

(iii) परीक्षा केन्द्र ऐसे इण्टर कालेज/डिग्री कालेज/विश्वविद्यालय को बनाया जायेगा जो अच्छी ख्याति के हों और जिनमें पर्याप्त संस्थागत सुविधायें यथा सीसीटीवी कैमरे/वाइस रिकार्डर युक्त, बड़े हवादार कक्षा कक्ष, पर्याप्त फर्नीचर, पंखे, पीने के पानी तथा शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध हों। परीक्षा केन्द्र में परीक्षा संचालन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र का प्राचार्य/प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेगा। समिति द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु न्यूनतम 500 अभ्यर्थी आवंटित किये जायेंगे।

(iv) परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के साथ–साथ, कक्ष निरीक्षक तथा अन्य किसी भी कर्मचारी को मोबाइल, नोटबुक या अन्य कोई यांत्रिक एवं इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र व्यवस्थापक, परीक्षा कार्य में सलंग्न कक्ष निरीक्षक व अन्य कर्मी, नामित पर्यवेक्षक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट को भी कैमरा युक्त मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ ऐसा मोबाइल ले जा सकते हैं जो सामान्य की–पैड वाला कैमरा रहित फोन हो और स्मार्ट फोन की श्रेणी में न आता हो।

(v) आवेदन की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के अन्दर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा मण्डल के आवेदकों की संख्या सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय के जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक/सचिव, केन्द्र निर्धारण समिति को संसूचित की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक सप्ताह के अन्दर उक्त संख्या के आधार पर जनपद में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची छात्र आवंटन सहित (हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी दोनों में) समिति के अनुमोदनोपरांत सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

12— परीक्षा के पूर्व केन्द्र व्यवस्थापकों तथा सम्बन्धित अन्य अधिकारियों की बैठक :–

(i) जिलाधिकारी परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी केन्द्र व्यवस्थापकों की संयुक्त बैठक करेंगे जिनमें परीक्षा केन्द्रों की सुचारू व्यवस्था तथा वहां उपलब्ध संस्थागत सुविधाओं तथा परीक्षा में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की रणनीति तैयार की जायेगी। परीक्षा नकलविहीन तथा शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का दायित्व भी जिलाधिकारी का होगा।

(ii) उक्त परीक्षा अत्यन्त संवेदनशील हैं। अतः मण्डलायुक्त का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने मण्डल में उक्त परीक्षा को शांतिपूर्वक एवं शुचिता के साथ सम्पन्न कराने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंगे। मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अपने मण्डल से सम्बन्धित सूचना मण्डलायुक्त को देंगे। मण्डलायुक्त द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने पर रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

13. प्रश्नपत्रों का प्रेषण तथा उनका रख–रखाव:–

(1) सभी मण्डल मुख्यालय के जनपद पर परीक्षा तिथि से तीन दिन पूर्व प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) एवं उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त रूप से प्राप्त करा दी जायेगी जिन्हें कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखा जायेगा।

(2) प्रश्न पुस्तिकाओं (टेस्ट बुकलेट) को परीक्षा वाले दिन डबल लॉक से प्राप्त कर उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर समय से पूर्व सुरक्षित पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।

(3) परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट एक घंटे तीस मिनट पूर्व केन्द्र व्यवस्थापक को अनिवार्यतः उपलब्ध करा दिये जायेंगे। सील्ड प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) के पैकेट परीक्षा केन्द्र पर जिलाधिकारी द्वारा नामित स्टेटिक मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेस्टस की उपस्थिति में केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा दो कक्ष निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षक के सामने खोला जायेगा तथा वीडियोग्राफी रिकार्डिंग भी की जायेगी तथा इस आशय का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर लिये जायेंगे। परीक्षा सम्पन्न हो जाने के उपरांत सदस्य सचिव (जिला विद्यालय निरीक्षक) द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जायेगी।

(4) **"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021"** जिलाधिकारी द्वारा नामित स्टेटिक मजिस्ट्रेट की देख–रेख में सम्पादित करायी जायेगी।

(5) परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थियों के SCAN किये हुए फोटोयुक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराये जायेंगे। उपस्थिति पत्रक में ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का क्रमांक अंकित किया जायेगा एवं आवेदक के हस्ताक्षर के साथ–साथ अंगूठे का निशान भी यथा स्थान लिया जायेगा।

(6) परीक्षा समाप्त होने के बाद केन्द्र व्यवस्थापक अनुपस्थित अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण विवरण सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका के बंडल अन्दर सील्ड करके उपलब्ध करायेंगे। अनुपस्थिति विवरण तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा जिसमें से एक प्रति केन्द्र व्यवस्थापक अपने पास सुरक्षित रखेंगे। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन के दौरान एजेन्सी को अनुपस्थित अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा जिससे किसी भी त्रुटि की सम्भावना न रहे।

(7) अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रक में वांछित प्रविष्टियों को रिक्त (Blank) छोड़े जाने की सम्भावना बनी रहती है। अतः ओ0एम0आर0 शीट के अंत में निर्दिष्ट स्थान पर हल किये गये प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंको में अभ्यर्थी द्वारा अंकित की जायेगी।

14. परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया और ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का प्रयोग :–

क. "जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021" के आयोजन के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया –

1. परीक्षा कक्ष/हॉल परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व खोले जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल खुलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए।
2. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डॉउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा –
   (i) प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र।
   (ii) प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति।

Scanned with CamScanner

(iii) उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र।

3. जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश–पत्र के साथ आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के 10 मिनट पश्चात् आता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित सीटिंग प्लान के अन्यत्र/विपरीत बैठने वाले अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

6. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष के भीतर प्रवेश–पत्र तथा काले बॉल प्वाइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य–सामग्री, कैलकुलेटर, डॉकुपेन, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त में से कोई भी सामान पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी को 'अनुचित तरीके' के रूप में माना जाएगा और उसकी विद्यमान परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही अभ्यर्थी को आगामी परीक्षा (परीक्षाओं) के लिए भी विवर्जित कर दिया जाएगा और वह सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी।

7. केन्द्र अधीक्षक अथवा संबंधित निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई भी अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा, जब तक परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो गया हो। अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं ड्यूटी पर उपस्थित निरीक्षक को सौंपे बिना कक्षा/हॉल से बाहर नहीं जाएंगे।

8. परीक्षा हॉल/कक्ष में धूम्रपान करना, गुटखा चबाना, थूकना आदि सख्त मना है।

9. पेपर के आरंभ होने के दस मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीलबंद प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) दी जाएगी। जिसमें ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक रखा होगा।

10. प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से ही भरेंगे। वे तब तक प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) को नहीं खोलेंगे, जब तक कि निरीक्षक द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया हो। घोषणा होने से पूर्व उसकी सील को न खोलें/तोड़ें।

11. प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) के प्रथम पृष्ठ पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) को हल करने तथा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक भरने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ओ0एम0आर0 पत्रक भरने से पूर्व इन महत्वपूर्ण अनुदेशों का अनुसरण अवश्य करें।

12. मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की गैर–अनुपलब्धता के विषय में किसी विसंगति के मामले में यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को भी अपने साथ ले गया है तथा ऐसे मामले में केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी तथा परिणाम रद्द किए जाने योग्य होगा। यदि केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में शिथिलता बरती जाती है तो केन्द्र पर तैनात स्टेटिक मजिस्ट्रेट/पर्यवेक्षक केन्द्र व्यवस्थापक के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेंगे।

Scanned with CamScanner

13. ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के बण्डल तैयार करते समय बण्डल में निर्धारित संख्या में ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक रखे गए हैं, इस आशय का प्रमाण पत्र केन्द्र पर उपस्थित स्टेटिक मजिस्ट्रेट/पर्यवेक्षक द्वारा भी दिया जायेगा।

ख. परीक्षा से पूर्व महत्वपूर्ण अनुदेश

1. पेपर के आरंभ होने से पांच मिनट पूर्व अभ्यर्थी को टेस्ट–बुकलेट की सील को तोड़ने/खोलने के लिए कहा जाएगा। वे अपना उत्तर–पत्रक सावधानीपूर्वक निकालेंगे। अभ्यर्थी को सावधानी से जांच करनी चाहिए कि उत्तर–पत्रक पर अंकित टेस्ट–बुकलेट कोड वही है जो टेस्ट–बुकलेट पर अंकित है। इनमें भिन्नता होने के मामले में, अभ्यर्थी को तत्काल ही इसकी सूचना टेस्ट–बुकलेट और उत्तर–पत्रक को बदलने के लिए कक्ष निरीक्षक को देनी चाहिए।
2. इसके पश्चात अभ्यर्थी उत्तर–पत्रक पर अपने विवरण केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से लिखेंगे। पेंसिल के प्रयोग की पूरी तरह से मनाही है। यदि कोई पेंसिल का प्रयोग करता है, तो उत्तर–पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। इस चरण को पूरा करने के पश्चात, अभ्यर्थी निरीक्षक के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे।
3. परीक्षा ठीक उसी समय पर आरंभ होगी जिसका उल्लेख प्रवेश–पत्रक में किया गया है तथा निरीक्षक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी।
4. परीक्षा के समय के दौरान निरीक्षक प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश–पत्रक की जांच करेंगे ताकि वे प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान के बारे में संतुष्ट हो सकें। निरीक्षक उत्तर–पत्रक पर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

ग.अनुचित तरीके :

1. परीक्षा कक्ष/हॉल में यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित तरीकों का प्रयोग करता हुआ/वार्तालाप या व्यवधान उत्पन्न करता हुआ अथवा किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया, तो उसे भर्ती परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा तथा उम्मीदवारी रद्द कर उसके विरूद्ध केन्द्रव्यवस्थापक द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।
2. पेपर को समाप्त करने के उपरांत तथा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक सौंपने से पूर्व अभ्यर्थी को पुनः यह जांच कर लेनी चाहिए कि ओ0एम0आर0 में अपेक्षित सभी विवरण सही–सही लिखे गए हैं।
3. परीक्षा के आरंभ में तथा आधा समय बीतने पर एक संकेत दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के समय से पूर्व भी एक संकेत दिया जाएगा तब अभ्यर्थी को अपने उत्तर अंकित करना बंद कर देना होगा।
4. अभ्यर्थी यह जांच करेंगे कि प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट–बुकलेट) में उतने ही पृष्ठ हैं जितने कि प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर लिखे हुए हैं। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) से कोई पृष्ठ नहीं निकालेंगे तथा यदि उसे अपनी प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) से कोई पृष्ठ निकालते हुए पाया जाता है, तो इसे अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला माना जाएगा तथा अभ्यर्थी अपराधिक कार्यवाही का पात्र होगा।
5. अभ्यर्थी को उपस्थिति–पत्रक में उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे।

घ. रफ कार्य

अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) में केवल रफ कार्य हेतु दिये गये निर्धारित स्थान पर ही समस्त रफ कार्य करेंगे। दिये गये निर्धारित स्थान के अतिरिक्त रफ कार्य किये जाने की अनुमति नहीं है।

Scanned with CamScanner

15. **परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण :–**

(1) परीक्षा एक दिवसीय होगी। परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरान्त परीक्षा के दिन ही परीक्षा केन्द्रों पर ओ0एम0आर0 पत्रक को उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरण एवं अन्य परीक्षा सामग्री के साथ अलग–अलग भलीभांति सुरक्षित रूप से सील्ड कराकर कोषागार के डबल लॉक में पहुँचाने तथा उसी दिन कोषागार के डबल लॉक से उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बंडल को सुरक्षित रूप से सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय में प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।

(2) उत्तर पत्रक को सुरक्षित पहुँचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा पर्याप्त पुलिस स्कोर्ट की व्यवस्था तथा अन्य अपेक्षित आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा उत्तर पत्रक को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने हेतु आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) उत्तर पत्रक (OMR) तीन प्रतियों में होगा, जिसमें प्रथम प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ मूल्यांकन केन्द्र हेतु सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म के लिए सफेद रंग के कपड़े में सील्ड किया जायेगा। द्वितीय प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ लाल रंग के कपड़ें में सील्ड किया जायेगा तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे। समस्त उत्तर पत्रकों (उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बंडल) को परीक्षा समाप्त होने पर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय में प्राप्त कराया जायेगा।

(3) टेस्ट बुकलेट परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा दो कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति में खोले जाने के समय एवं ओ0एम0आर0 पत्रक को सील्ड किये जाने के पश्चात् वीडियो रिकार्डिग की सीडी, प्रमाण पत्र अन्य प्रपत्रों के साथ समस्त लिफाफे हरे रंग के कपड़े में सील्ड कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में प्राप्त कराया जायेगा।

(5) परीक्षा में अप्रयुक्त टेस्ट बुकलेट/उत्तर पुस्तिका पीले रंग के कपड़े में सील्ड कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में प्राप्त कराया जायेगा।

16. **परीक्षा केन्द्रों पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था:–**

(1) मण्डल मुख्यालय के जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु तथा प्रश्नपत्र के रख–रखाव, सचल दल तथा पर्यवेक्षण आदि हेतु रू0 30,000.00 की आकस्मिक धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस धनराशि में सम्बन्धित स्टेटिक मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक व कोषाधिकारी के लिए रू0 2000.00 प्रत्येक का मानदेय सम्मिलित है । इस धनराशि से परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य कार्मिकों एवं डबल लॉक में कोषागार कर्मियों को भी मानदेय दिया जायेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 1000.00 रूपये तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 600.00 रूपये मानदेय देय होगा।

(2) परीक्षा केन्द्र हेतु व्ययादि की व्यवस्था:–

परीक्षा संचालन हेतु प्रति छात्र रू0 15.00 की दर से आकस्मिक व्यय का भुगतान किया जायेगा। जो न्यूनतम रू0 5000.00 एवं अधिकतम रू0 20000.00 का होगा। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 02 तृतीय श्रेणी कर्मचारी रू0 1000.00 प्रति कर्मचारी एवं 04 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रू0 600.00 प्रति कर्मचारी की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त आकस्मिक धनराशि से परीक्षा सम्बन्धी समस्त व्यय हेतु भुगतान वित्तीय नियमानुसार मितव्ययिता के साथ किया जायेगा। केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा सम्पन्न होने के

Scanned with CamScanner

दूसरे दिन प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

(3) यदि किन्हीं परिस्थितियों में परीक्षा संचालन में अतिरिक्त व्यय हो जाता है, तो सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ऐसी सभी युक्ति संगत माँगों को संकलित करके संस्तुति सहित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को संदर्भित किया जाएगा।

(4) **मानदेयः–** परीक्षा कार्य से जुड़े कार्मिकों हेतु मानदेय देय होगा। उक्त हेतु धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा उनके द्वारा सम्बन्धित केन्द्रों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(i) जिलाधिकारी	-	रू0 3000 प्रति पाली
(ii) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	-	रू0 2500 प्रति पाली
(iii) स्टेटिक मजिस्ट्रेट	-	रू0 2000 प्रति पाली
(iv) जिला विद्यालय निरीक्षक	-	रू0 2000 प्रति पाली
(v) सचल दल प्रभारी	-	रू0 2000 प्रति पाली
(vi) कोषाधिकारी		रू0 2000 प्रति पाली
(vii) केन्द्र व्यवस्थापक	-	रू0 2000 प्रति पाली
(viii) कक्ष निरीक्षक (आवश्यकतानुसार)	-	रू0 750/-(प्रति कक्ष निरीक्षक/प्रति पाली)
(ix) पर्यवेक्षक (02) (जिलाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन का एक-एक प्रतिनिधि)	-	रू0 2000/-(प्रति पर्यवेक्षक/प्रति पाली)
(x) डबल लॉक के कोषागार कर्मियों (02 तृतीय श्रेणी एवं 02 चतुर्थ श्रेणी)	-	रू01000 तृतीय श्रेणी (प्रति सदस्य/प्रति पाली) रू0 600 चतुर्थ श्रेणी (प्रति सदस्य/प्रति पाली)
(xi) सचल दल (3-5 सदस्य प्रति दल)	-	रू0 1000/- (प्रति सदस्य/प्रति पाली)
(xii) प्रश्न पत्र कोषागार से लेकर परीक्षा केन्द्र पर पहुँचाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को भुगतान प्रति पाली)	-	रू0 2000/- प्रभारी, 01 तृतीय श्रेणी- रू0 1000, 02 चतुर्थ श्रेणी - रू0 600 रू0 (प्रति सदस्य/
(xiii) प्रश्नपत्र निर्माण के लिए मानदेय	-	रू0 70/- (प्रति प्रश्न)
(xiv) प्रश्न पत्रों के माडरेशन के लिए मानदेय	-	रू0 80/- (प्रति प्रश्न)

(xv) परीक्षा के बाद उत्तरमाला के प्रति प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण के लिए मानदेय- 2000 रू0 प्रति सदस्य एक मुश्त होगा।

(5) मानदेयः–सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के कर्मियों को परीक्षा में लगाये जाने हेतु मानदेयः–

(i) अधिकारियों को 2000 रू0 प्रतिदिन अधिकतम परीक्षा से तीन दिन पूर्व एवं तीन दिन बाद।

(ii) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को मानदेय 1000 रू0 प्रतिदिन परीक्षा से तीन दिन पूर्व व तीन दिन बाद।

(iii) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मानदेय 600 रू0 प्रतिदिन परीक्षा से तीन दिन पूर्व व तीन दिन बाद।

(iv) परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पादित कराये जाने हेतु परीक्षा से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों/सहायकों/तकनीकी कर्मियों को परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति की तिथि से परीक्षाफल घोषित होने की तिथि तक उक्त निर्धारित दर के अनुसार अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(v) परीक्षा सम्पादित कराये जाने के उपरान्त परीक्षाफल तैयार कराये जाने हेतु ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग से सम्बन्धित गोपनीय कार्य में लगाये गये सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को स्कैनिंग की अवधि का अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा।

(vi) उपरोक्त बिन्दु सं0–5 के उपबिन्दु (प से अ) तक के सम्बन्धित अधिकारियों /कर्मचारियों को मानदेय का एक ही लाभ देय होगा एवं संलग्न अधिकारियों/तृतीय श्रेणी/तकनीकी कर्मी/ चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मानदेय धनराशि की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी –'

अधिकारी	– 75,000
तृतीय श्रेणी/तकनीकी कर्मी	– 50,000
चतुर्थ श्रेणी	– 30,000

(6) केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा से 07 दिन पूर्व एक अनुमानित आगणन के अनुसार मानदेय की धनराशि की माँग जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक परीक्षा से 03 दिन पूर्व यह धनराशि केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध करायेंगे। परीक्षा के दिवस ही यथा सम्भव मानदेय की धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

17. "जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021" के लिए परीक्षा शुल्क :

वर्ग	**सहायक अध्यापक**	**प्रधानाध्यापक अथवा दोनो पदों हेतु** सामान्य/अ.
पि.व. श्रेणी	रू0 700/–	रू0 900/–
अ.जा./अ.ज.जा	रू0 500/–	रू0 700/–
दिव्यांग	रू0 300/–	रू0 400/–

जो अभ्यर्थी दोनों पदों सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक हेतु परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनो पदों के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी परन्तु अभ्यर्थी को उक्त निर्धारित शुल्क के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा।

आवेदन शुल्क से प्राप्त धनराशि का व्यय परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के लिए वित्तीय नियमो के अनुसार मितव्ययता पूर्वक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा किया जायेगा।

18. ऑन लाइन आवेदन –

(1) **"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021"** के लिए सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा एन0आई0सी0 लखनऊ के सहयोग से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा कराया जायेगा।

(2) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तकनीकी एवं परिचालन सम्बन्धित निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

Scanned with CamScanner

(3) अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को सबमिट/फाइनल सेव करने से पूर्व उसका प्रिंट लेकर, ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर लें। फाइनल सेव करने के उपरान्त किसी ब्यौरे में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी भी कारण से पुष्टिकरण पृष्ठ में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए किसी त्रुटिपूर्ण ब्यौरे से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए परीक्षा संस्था उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरा गया संशोधित विवरण ही अन्तिम होगा और भविष्य में ऑनलाइन कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

(4) अभ्यर्थियो को ऑनलाइन आवेदन को फाइनल सबमिट करने से पूर्व आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर उसमें अंकित प्रविष्टियो का भली भॉति मिलान करने के उपरान्त, आवेदन पत्र में अंकित निम्नलिखित घोषणा पत्र को स्वलिखित/स्वहस्ताक्षरित करते हुए अपलोड करना अनिवार्य होगा कि– **"मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किये गये रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें की गयी प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मै अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ, फाइनल सेव होने के उपरान्त मुझे अपने आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन करने का कोई अवसर देय नहीं होगा।"**

(5) उक्त घोषणा पत्र को चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी के मोबाइल पर भेजे गये OTP को Verify करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने सही मोबाइल नम्बर का अंकन करें।

(6) आवेदन शुल्क के भुगतान बिना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(7) अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन न करें। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम ऑनलाइन आवेदन को मान्य करते हुए अन्य आवेदन निरस्त कर दिये जायेगें, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

(8) एक बार शुल्क का भुगतान करने पर उसे किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस अथवा भविष्य की परीक्षा में समायोजित नहीं किया जाएगा।

(9) यदि किसी अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो गई है। इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेन्सी/नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित की जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए और यदि वह दिए गए योग्यता मापदण्ड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो वे आवेदन न करें और फिर भी आवेदन करते हैं तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(10) भ्रामक, गलत अथवा असत्य सूचना देने पर परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा, प्रमाण–पत्र जब्त कर लिया जाएगा और उपयुक्त मामलों में विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

(11) मशीन के माध्यम से स्कैनिंग की जाने वाली उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अत्यंत सावधानी बरती जाती है व इनकी बारम्बार संवीक्षा की जाती है। आ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की पुनः जांच, पुनः आंकलन, पुनः मूल्यांकन अथवा संवीक्षा के लिए निवेदन व इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

(12) दिव्यांग उम्मीदवारों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश लागू हैं:– पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित (Blind) एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक की सुविधा दी जा सकती है जो लिखने में अथवा गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो किन्तु श्रुत लेखक को अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं लायेगा जिसकी शैक्षिणिक योग्यता इण्टरमीडिएट से अधिक नही होगी

परीक्षा केन्द्र पर श्रुत लेखक को परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने में कोई कठिनाई न हो इसके लिए अनिवार्य है कि परीक्षार्थी श्रुत लेखक को अपने साथ ला रहा है, इस आशय का प्रत्यावेदन परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केन्द्र के केन्द्र व्यवस्थापक को प्रस्तुत कर श्रुत लेखक को बैठाए जाने की अनुमति प्राप्त कर लें। परीक्षार्थी को उक्त आशय के प्रत्यावेदन के साथ पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित (Blind) होने/लिखने पढ़ने में सर्वथा असमर्थ होने सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र, परीक्षार्थी का फोटो पहचान पत्र, श्रुत लेखक के शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र एवं श्रुत लेखक का फोटो पहचान पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(13) जिस वर्ष परीक्षा हो रही है उस वर्ष की इण्टरमीडिएट में सम्मिलित होने अथवा उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति ही श्रुत लेखक हो सकते हैं। अर्थात् 2021 की इण्टरमीडिएट में सम्मिलित होने वाला अथवा वर्ष 2020 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही श्रुत लेखक के रूप में मान्य होगा।

(14) दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशत के दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें दिव्यांग अभ्यर्थी के रूप में विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

(15) पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित (Blind) होने/लिखने पढ़ने में सर्वथा असमर्थ होने पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(16) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को भ्रम की स्थिति से बचने के लिए परीक्षा से पूर्व विशेषतः भूतल पर उचित बैठने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ।

(17) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) देने का सही समय चिन्हित किया जाना चाहिए और नेत्रहीन उम्मीदवारों के प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।

19. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु –

(1) यदि किसी अभ्यर्थी को **"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021"** में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो गई है, इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेन्सी/नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित की जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए और यदि वह दिए गए योग्यता मापदण्ड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो वे आवेदन न करें और फिर भी आवेदन करते हैं तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी परीक्षा हेतु दिये गये ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर अपेक्षित विवरण (रोल नं0, रजिस्ट्रेशन नं0, प्रश्न पुस्तिका सीरीज इत्यादि अन्य विवरण) केवल बॉल प्वाइंट पेन से सही–सही भरेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपेक्षित विवरण गलत व अस्पष्ट भरे जाने पर ओ0एम0आर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये गलत विवरण का सम्पूर्ण

Scanned with CamScanner

उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे।

(3) ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की पुनः जांच, पुनः आंकलन, पुनः मूल्यांकन अथवा संवीक्षा के लिए निवेदन व इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही उस पर कोई कार्यवाही की जायेगी।

20. <u>परीक्षा के आयोजन हेतु अन्य व्यवस्थायें</u> :–

(1) परीक्षा हेतु एक ऑफीशियल वेबसाइट का निर्माण एवं उसका संचालन एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सहयोग से परीक्षा संस्था की देख–रेख तथा निर्देशन में किया जायेगा।

(2) परीक्षा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किसी बैंक में एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा, जो सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा संचालित किया जायेगा।

(3) अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन हेतु परीक्षा संस्था द्वारा एकीकृत रूप से प्रदेश के बहुप्रसारित कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी एवं एक अंग्रेजी के समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों मे विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

21. <u>छंटाई के नियम</u> :–

उत्तर–पत्रक सहित **"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021"** के अभिलेख परीक्षा के परिणाम की घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक परीक्षा संस्था में संरक्षित रखे जायेंगें, तत्पश्चात् उसे बीड आउट कर दिया जायेगा।

22. <u>परीक्षाफल प्रकाशन</u> :–

(1) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा चयनित कम्प्यूटर फर्म द्वारा कराया जायेगा तथा जो अभ्यर्थी सफल घोषित होंगे उनके अनुक्रमांक से सम्बन्धित उत्तर पत्रक (OMR) के मूल्यांकन की क्रास चेकिंग करने के पश्चात् सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परिणाम घोषित किया जायेगा।

(2) उत्तर पुस्तिकाओं की सावधानीपूर्वक जांच के उपरान्त "परीक्षा संस्था" द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त नियत अवधि के अन्दर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा समाचार पत्रों के माध्यम से परीक्षाफल के घोषित होने की सूचना दी जायेगी।

(3) कानूनी अधिकार क्षेत्र **"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021"** के आयोजन से संबंधित सभी विवाद केवल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे।

Scanned with CamScanner

"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021" के आयोजन हेतु शासनादेश संख्या–86/अड़सठ–3–2021, दिनांक–10.02.2021 द्वारा जो समय–सारिणी निर्धारित की गयी थी उसे संशोधित करते हुए निम्नवत् समय–सारिणी निर्धारित की जाती है –

क्र0सं0	कार्यक्रम का विवरण	कार्य सम्पन्न करने के लिए अवधि का निर्धारण
1.	विज्ञापन का प्रकाशन	दिनांक 25.02.2021
2.	आनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक 03.03.2021 से प्रारम्भ
3.	रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	दिनांक 17.03.2021
4.	आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 18.03.2021
5.	आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अन्तिम तिथि	दिनांक 19.03.2021
6.	परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि	दिनांक 19.03.2021
7.	जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने की तिथि	दिनांक 25.03.2021
8.	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करके केन्द्रों की सूची छात्र आवंटन सहित (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी दोनों) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराने की तिथि	दिनांक 27.03.2021
9.	केन्द्रों की सॉफ्ट कापी एन0आई0सी0, लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि	दिनांक 01.04.2021
10.	एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त कराने की तिथि	दिनांक 08.04.2021
11.	प्रवेश पत्र Website पर load करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में load होने की सूचना की विज्ञप्ति	दिनांक 09.04.2021
12.	अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि	दिनांक 14.04.2021

Scanned with CamScanner

13.	डबल lock में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं ओ0एम0आर0 शीट (उत्तर पुस्तिका) जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि	दिनांक 16.04.2021	
14.	परीक्षा की तिथि	**18.04. 2021**	**सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक (प्रथम प्रश्न पत्र)** **समय–10:00 से 12:30 बजे**
			प्रधानाध्यापक पद हेतु **द्वितीय प्रश्न पत्र** **समय 02:00 से 3:00 बजे**
15.	परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं/ओ0एम0आर0 शीट के सील्ड बंडल सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराने की अंतिम तिथि	20.04.2021 तक	
16.	लिखित परीक्षा के उपरान्त उत्तर माला को Website पर जारी करने की तिथि	23.04.2021 अपराह्न	
17.	वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	27.04.2021	
18.	प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके निराकरण करने की तिथि	12.05.2021	
19.	आपत्ति पर विषय–विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि	15.05.2021	
20.	विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन कराके परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	**18.05.2021**	

Scanned with CamScanner

2— उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर०वी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या—141 (1)/अड़सठ—3—2021 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3— समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
5— शिक्षा निदेशक (बेसिक)/ निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
6— अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, प्रयागराज।
7— समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक, उ०प्र०।
8—समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०।
9—समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, उ०प्र०।
10—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
11—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
12—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner